ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 5, September 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

भारत में चुनाव सुधार हेतु किए गए प्रयास और आवश्यकता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

DR. VINAY KUMAR PINJANI

ASSOCIATE PROFESSOR IN POLITICAL SCIENCE, BABU SHOBHA RAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

सार

हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को वर्तमान हालात के लिये दोषी करार देते हैं, लेकिन क्या यह प्रणाली भाव-शून्यता में काम कर रही है? जानकारों की माने तो इस समस्या में समाज की भी स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिये समाज और उसके तंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिये सबसे अच्छे नागरिकों को जन प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिये जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जो चुने गए लोगों को गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है।

परिचय

चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों?

- राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय निचले सदन के लिये सांसदों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सातवें बड़े और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है।
- निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं। फलस्वरूप वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं।
- भारतीय चुनाव में सत्तारुढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिये प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारुढ़ हुआ तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाया है।
- भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची अपूर्ण रहती है। परिणामस्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं।
- निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी चुनावी प्रणाली की एक बड़ी समस्या है। प्रायः निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रयोग वोट काटने के लिये किया जाने लगा है।

- इसके अतिरिक्त जाली व फर्ज़ी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव इत्यादि हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक

- प्रायः उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देते हैं। वे अपनी संपत्ति, देनदारियों, आय तथा शैक्षिक योग्यता का विवरण नहीं देते हैं।
- चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन को प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है।
- पिछले कुछ वर्षो में कानून-सम्मत और असल खर्चो के बीच अंतर काफी बढ़ा है।
- चुनाव जीतने के लिये उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी पर अब बाकी प्रांतों में भी फैल रही है।
- अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ बनाने के लिये राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्यवाही न की जाए।
- इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिये इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- किसी भी मज़बूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सकें।[1,2,3]
- ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जाति या समूह से आते हैं। ये जाति, समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट दिये जाएँ।
- जाति आधारित राजनीति देश की बुनियाद और एकता पर प्रहार कर रही है और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है तथा अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है।
- स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलनों को जन्म दिया। साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ निरपेक्षता के संघीय ढ़ांचे के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ एवं आयोग

विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया की जाँच की है और सुधार के सुझाव दिये हैं। ये समितियाँ एवं आयोग निम्नलिखित हैं-

- तारकुंडे समिति (वर्ष 1974-75)
- चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (वर्ष 1990)
- राजनीति के अपराधी करण पर वोहरा समिति (वर्ष 1993)
- चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998)
- चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1999)
- चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2004)

- शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति (वर्ष 2007)
- चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति (वर्ष 2010)

उपरोक्त समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गए हैं। निम्नलिखित दो कालखंडों में बाँट कर इनका अध्ययन किया जा सकता है।

- वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार
- वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार

वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार

- संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी, कर्मचारियों को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।
- इस अवधि में ये कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे।
- नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10 फीसदी का इज़ाफा किया गया।
- राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना।
- दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगित न होना।
- इस चरण में अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रचलन में आना शामिल है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके।[4,5,6]
- अतः सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगलुरू) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (हैदराबाद) के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा EVM को तैयार किया गया।
- दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें आयोग को EVM मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया।
- प्रयोग के तौर पर EVM का पहली बार उपयोग वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था।
- वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार EVM का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ।

वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार

1. एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध

- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरूआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्ज़िट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एक्ज़िट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सज़ा हो सकता है।

2. चुनावी खर्च पर सीलिंग

- लोकसभा सीट के लिये चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए कर दिया गया है वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए तक है।

3. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान

- सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।
- विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।

4. जागरूकता और प्रसार

- युवा मतदाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला वर्ष 2011 से शुरू हुआ।
- 20,000 रुपए से अधिक राजनीतिक चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना।

5. नोटा

- वर्ष 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी नन ऑफ द एबव (None of the above)।
- यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पंसद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है।
- पहले जब कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था। लेकिन इससे मतदाता के वोट आफ सिक्रेट बैलेट के अधिकार को नुकसान पहुँचता था।

6. मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल

- यह EVM से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उसने मत डाला है।
- जब मत पड़ता है तो एक मुद्रित पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम रहता है जिसे मत दिया गया है।

7. तकनीकी का प्रयोग

निर्वाचकों के लिये कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्टोरल सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट इंट्री को खत्म करने के लिये डी-डुप्लीकेशन तकनीक लाना। मतदान प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग कराना।

आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कोमेट नाम की एक प्रणाली विकसित की है, इससे चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया है।

GPS का उपयोग कर मतदान केंद्रों की अब रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है।

चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज़ करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये 'सीविजिल' एप लॉन्च किया है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

भारतीय निर्वाचन पद्धति की आलोचना

- भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अर्थात हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। इसलिये जिन राजनीतिक दलों के वोट बिखरे हुए हैं, उन्हें कुल मिलाकर अच्छा-खासा वोट मिलने के बावजूद मुमकिन है कि उसके प्रतिनिधि जीतकर न आएँ।
- ये राजनीतिक दल जिन सामुदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन समूहों की आवाज़ सदन में अनसुनी रह सकती है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को यूपी में लगभग 20% और देश में 4.1% वोट मिले। परिणामस्वरूप वह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर भी लोकसभा में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं था।
- इसी प्रकार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में 15% वोट मिले, लेकिन उसका एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। यह प्रणाली भारत की निर्वाचन पद्धति का एक प्रमुख दोष है।
- साफ-सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत ज़रूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।
- चुनाव के दौरान नेताओं के धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगनी चाहिये तथा इसका सख्ती से पालन होना चाहिये।
- पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ पर सख्ती से रोक लगनी चाहिये। इनके ज़रिये जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है, जिसका असर चुनावों पर होता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के विनियमन के लिये आचार संहिता निर्मित करने की आवश्यकता है।
- 'वन नेशन वन इलेक्शन' के मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श आयोजित करने की आवश्यकता है।

विचार-विमर्श

चुनावी सुधार से तात्पर्य चुनावी प्रणाली की अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में किए गए बदलावों या सुधारों से है। [7,8,9] चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर वोट मायने रखता है, ये सुधार आवश्यक हैं।

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 324): चुनाव सुधारों का उद्देश्य चुनावी कदाचार के मुद्दों को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाएं।
- मतदाता भागीदारी को बढ़ाना: चुनाव सुधारों का उद्देश्य मतदाता मतदान में वृद्धि करना और मतदाताओं की उदासीनता, मतदान केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई आदि के मुद्दे का समाधान करना है।
- धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करना: चुनाव सुधार अभियान वित्त को विनियमित करके और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करके धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना: चुनावी सुधारों में उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड का अनिवार्य खुलासा और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे उपाय शुरू किए गए हैं।

- चुनावी असमानताओं को संबोधित करना: चुनावी सुधार महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के कम प्रतिनिधित्व जैसी असमानताओं को कम करने का प्रयास करते हैं।

आज़ादी के बाद से लागू किए गए विभिन्न चुनाव सुधार क्या हैं?

1996 से पहले चुनाव सुधार

- प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि: 1988 में, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनावों के लिए नामांकन पत्रों में प्रस्तावकों की संख्या निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के 10 प्रतिशत या ऐसे दस निर्वाचकों, जो भी कम हो, तक बढ़ा दी गई थी।
- मतदान की आयु कम करना: 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
- बूथ कैप्चरिंग: 1989 में बूथ कैप्चरिंग की स्थिति में चुनाव स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान किया गया था।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): ईवीएम का पहली बार उपयोग मई 1982 में केरल के आम चुनाव में हुआ। 2004 में, लोकसभा के आम चुनाव में, देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया।

1996 के चुनावी सुधार

दिनेश गोस्वामी समिति (1990) की कुछ सिफ़ारिशें 1996 में लागू की गईं। इन्हें यहां समझाया गया है:

- उम्मीदवारों के नामों की सूची: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके नाम सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है। वे हैं
  - मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार
  - पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार
  - अन्य (निर्दलीय) उम्मीदवार।

- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत अयोग्यता: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति 6 साल के लिए संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।

- प्रस्तावकों की संख्या: किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार के नामांकन पर प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 पंजीकृत मतदाताओं की सदस्यता होनी चाहिए, यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नहीं है।

- प्रतियोगी दो निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित हैं: एक उम्मीदवार दो से अधिक संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यसभा/राज्य विधान परिषद से चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

1996 के बाद चुनावी सुधार

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव: 1997 में, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में निर्वाचकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई।
- उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति आदि की घोषणा: 2003 में, चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर प्रत्येक उम्मीदवार को दोषसिद्धि, आरोप, संपत्ति और किसी भी देनदारियों के मामलों पर जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया।

- मतदाता सूची आदि की निःशुल्क आपूर्ति: 2003 के प्रावधान के अनुसार, सरकार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रतियां और अन्य निर्धारित सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति करनी चाहिए।
- पार्टियाँ योगदान स्वीकार करने की हकदार हैं: 2003 में, राजनीतिक दलों को किसी भी आयकर राहत के लिए कोई भी दावा करने के लिए चुनाव आयोग को ₹20,000 से अधिक के किसी भी योगदान की रिपोर्ट करनी होती थी।[10,11,12]
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन: 2003 के एक प्रावधान के तहत, चुनाव आयोग को केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पिछले प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समय का न्यायसंगत बंटवारा आवंटित करना चाहिए।

2010 से चुनावी सुधार

- एग्जिट पोल पर लगाए गए प्रतिबंध: 2009 के प्रावधान के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करना और एग्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित करना प्रतिबंधित होगा ।
- अयोग्यता के लिए मामला प्रस्तुत करने की समय सीमा: 2009 में, तीन महीने की समय सीमा जोड़ी गई थी जिसके भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अयोग्यता के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्ति का मामला राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होगा।
- सुरक्षा जमा राशि में वृद्धि: 2009 में, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की जाने वाली सुरक्षा जमा राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई।
- जिले के भीतर अपीलीय प्राधिकारी: 2009 में, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध जिले के भीतर एक अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।
- जेल या पुलिस हिरासत में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं: 2013 में, जेल या पुलिस हिरासत में बंद व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया था।

- दोषी सांसदों और विधायकों की तत्काल अयोग्यता: लिली थॉमस मामले (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले हुआ था। .
- नकद दान की सीमा कम की गई: 2017 के बजट में, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी राजनीतिक दल को गुमनाम नकद दान की सीमा ₹20,000 से घटाकर ₹2,000 कर दी गई है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

- कॉर्पोरेट योगदान पर सीमा हटाई गई: 2017 के बजट में, किसी कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ के 7.5 प्रतिशत से कॉर्पोरेट योगदान की सीमा हटा दी गई है।
- चुनावी बांड की शुरूआत: 2018 में पेश किए गए चुनावी बांड को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली में स्वच्छ धन और पर्याप्त पारदर्शिता लाना है।
- विदेशी फंडिंग की अनुमति: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करके राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी फंड प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन से सुधारों की सिफारिश की गई है?

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में चुनाव सुधारों के लिए कई सिफारिशें की हैं। कुछ प्रमुख सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

- आयोग का विचार है कि कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है ।
- चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत में आजीवन प्रतिबंध के आह्वान का समर्थन किया । इसने तर्क दिया था कि इस तरह का कदम " राजनीति को अपराधमुक्त करने के उद्देश्य को बढ़ावा देगा "।
- आयोग का प्रस्ताव है कि जहां कोई भी आम चुनाव सदन के कार्यकाल की समाप्ति पर होता है, वहां केंद्र या राज्य सरकारों की किसी भी तरह से उपलब्धियों के विज्ञापनों को चुनाव की तारीख से छह महीने पहले की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सदन के कार्यकाल की समाप्ति.
- चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने के मामले में वही सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव करता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त को उपलब्ध है ।
- दलबदल विरोधी मामलों से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग की सिफारिश के साथ दिए जाने चाहिए।
- चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा आयोजित चुनावों में सामान्य मतदाता सूची का उपयोग होना चाहिए ।
- चुनाव आयोग का प्रस्ताव है कि चुनाव के संबंध में झूठी घोषणाएं करना अपराध होगा।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के बजाय चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए।

परिणाम

1952 के बाद से, जब पहला चुनाव समाप्त हुआ, विभिन्न सुधारों ने पार्टी फंडिंग के मुद्दे को संबोधित किया है। हालाँकि, वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

- सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक अध्ययन के अनुसार, सरकार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा 2014 के आम चुनाव में ₹ 30,000 करोड़ (2022 में ₹ 480 बिलियन या US$6.0 बिलियन के बराबर) खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया था। [1] भारत के चुनाव आयोग और भारत सरकार द्वारा आधिकारिक खर्च लगभग रु. 7,000-8,000 करोड़ [2] —यानी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं।

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 25 जनवरी 2017 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि 2004-2005 और 2014-2015 के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की कुल घोषित आय रुपये थी। 11,367 करोड़. ज्ञात दाताओं से कुल आय 16% (1,835 करोड़ रुपये) थी और सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज आदि सहित अन्य ज्ञात स्रोतों से कुल आय 15% (1,698 करोड़ रुपये) थी, जो 69% (7,833 करोड़ रुपये) थी। अज्ञात स्रोतों से कुल आय (प्रत्येक 20,000 रुपये से कम का योगदान), और इस प्रकार अप्राप्य है। अनुमानित व्यय के साथ लेखापरीक्षित आय की तुलना करने से यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक दलों ने अतिरिक्त बड़ी मात्रा में काला धन अर्जित किया।[13,14,15]
- 2014 के लोकसभा चुनावों पर 9 मई 2014 को एडीआर से पता चलता है कि चुनाव लड़ने वाले कुल 8,163 उम्मीदवारों में से 1,398 (17%) के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे; 889 (11%) गंभीर आपराधिक मामलों के साथ और 2,208 (27%) करोड़पति थे , यानी अपने स्वयं के चुनाव अभियानों को वित्त पोषित करने में सक्षम थे। इस प्रकार, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अब तक शुरू किए गए सुधार काफी हद तक विफल रहे हैं और यहां तक कि पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए काले धन और अमीर आपराधिक तत्वों पर अधिक निर्भरता के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है।

राजनीतिक फंडिंग सुधार को कवर करने वाली समितियाँ

सुधार के लिए राजनीतिक दलों को वित्त पोषण देने में समस्या यह है कि सुधारक और सुधारक एक ही हैं। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था में हितों का टकराव निर्मित हो जाता है। जब किसी ब्रेकिंग स्कैंडल के कारण सार्वजनिक आक्रोश के कारण कुछ करने के लिए दबाव डाला जाएगा, तो मामले का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। यदि जनता का दबाव नहीं बना रहा तो समिति के सुझावों को या तो कमजोर रूप में लागू किया जायेगा या कभी-कभी तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जायेगा। 1960 के दशक के बाद से, गठित समितियों ने प्रमुख शब्दों का उपयोग किया है जो राजनीतिक फंडिंग सुधार की समस्या के विभिन्न पहलुओं को इंगित करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

स्पीड मनी : काम को तेजी से पूरा करता है और "सार्वजनिक सेवाओं में अखंडता को अलग-थलग करने की बजाय उसे विकृत करने की प्रवृत्ति पैदा करता है और एक संगठित, सुनियोजित रैकेट के रूप में विकसित हो रहा है।" [3]

समानांतर अर्थव्यवस्था : इसे एक साथ संचालित होने और 'आधिकारिक' अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली अर्थव्यवस्था कहा गया है। संपत्ति लेनदेन "अवैध सौदों का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, जिसमें 'सफेद' और 'काले' भुगतान के अनुपात का खुलकर उल्लेख किया गया है"। [4]

विलंबित कार्रवाई : समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में काफी देरी हुई है। उदाहरण के लिए, 1964 में, संथानम समिति ने सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए सर्वोच्च ईमानदारी प्रहरी के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। हालाँकि, इसे किसी भी कार्यकारी प्राधिकार से मुक्त वैधानिक स्वायत्त निकाय का दर्जा केवल 39 साल बाद प्राप्त हुआ, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम 2003 का कानून बनाया गया था।

किए गए कुछ सुधार नीचे सूचीबद्ध हैं और कुछ करने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों दबावों के प्रति तत्कालीन सरकार की प्रतिक्रियाएँ हैं। उन्हें स्रोत के आधार पर विभाजित किया गया है (जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया और/या इसे घटित किया) और इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक शीर्षक के भीतर कालानुक्रमिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि अलग-अलग समय को अलग-अलग समाधानों की आवश्यकता होती है। वित्त विधेयक 2017, जिसे राजनीतिक दलों की फंडिंग से संबंधित माना जाता है, मोटे तौर पर एक प्रतिगामी विधेयक माना जाता है, यह संकेत देता प्रतीत होता है कि जब कोई पार्टी आगामी चुनाव लड़ने के लिए धन जुटाने के लिए तीव्र दबाव में आती है तो क्या हो सकता है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

पारदर्शिता (और समन्वय) की कमी : सरकार ने 1993 में वोहरा समिति की स्थापना की - इसने स्पष्ट रूप से अपराध और राजनेताओं के बीच संबंधों की पुष्टि की। समिति का काम अपराध सिंडिकेट या माफिया की गतिविधियों के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी का जायजा लेना था, जिन्होंने सरकारी पदाधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों के साथ संबंध विकसित किए थे और उन्हें संरक्षित किया जा रहा था। रिपोर्ट में एक नोडल सेल की स्थापना की सिफारिश की गई जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई प्रासंगिक जानकारी के लिए एक संग्रह बिंदु के रूप में काम करेगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)।

वोहरा समिति की रिपोर्ट की धारा 11.1: "संक्षेप में, वर्तमान में क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियां अनिवार्य रूप से अपने संबंधित कर्तव्यों के चार्टर पर ध्यान केंद्रित करती हैं, अपने संगठनों से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से निपटती हैं और सचेत रूप से लिंकेज पर किसी भी जानकारी को अलग रखती हैं। वे सामने आ सकते हैं।"

अंतिम वोहरा रिपोर्ट में व्यक्तिगत राजनेताओं या नौकरशाहों के किसी विशिष्ट नाम का खुलासा नहीं किया गया था, बल्कि केवल सामान्य तरीके से कहा गया था कि क्या पहले से ही व्यापक रूप से जाना जाता था और वर्षों से चर्चा की गई थी। आरटीआई के माध्यम से समिति द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त और फ़ाइल नोटिंग प्राप्त करने और वास्तविक जानकारी प्रदान करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने समिति की बैठकों की फ़ाइल नोटिंग को "गुप्त" बताते हुए साझा करने से इनकार कर दिया।

राजनीतिक फंडिंग के बारे में समिति के उद्धरण

- वांचू समिति की रिपोर्ट, 1970 (धारा 2.20): "इस संबंध में, यह बताया गया है कि चुनाव खर्चों को पूरा करने के लिए बड़े धन की आवश्यकता होती है और यह सामान्य ज्ञान है कि इनका वित्तपोषण काफी हद तक बहुत सारे काले धन वाले धनी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है . कुछ के अनुसार, यह कारण नहीं बल्कि काले धन का एक जरिया है। कहा जाता है कि हाल ही में कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर लगाए गए प्रतिबंध से स्थिति और भी खराब हो गई है।"
- दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट, 1990 (धारा 1.6): "चुनावों में धन और बाहुबल की भूमिका... राजनीति का तेजी से अपराधीकरण... गैर-गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी का बढ़ता खतरा; हमारी चुनावी समस्याओं का मूल है। "
- वोहरा समिति की रिपोर्ट, 1993 (धारा 10.1): "विभिन्न अपराध सिंडिकेट/माफिया संगठनों ने महत्वपूर्ण बाहुबल और धन शक्ति विकसित की है और सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित किए हैं ताकि वे दण्ड से मुक्ति के साथ काम कर सकें"।
- राजनीतिक कार्यकर्ता नैना साहनी की हत्या के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले (20/3/1997) में कहा : "..नौकरशाहों, निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, मीडिया हस्तियों, रणनीतिक रूप से स्थित लोगों के साथ संपर्क का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है।" गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यक्ति और न्यायपालिका के सदस्य"

सुधार

1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) ने संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के लिए नियमों का पहला सेट प्रदान किया। पिछले कुछ वर्षों में बदलती परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए आरपीए में संशोधन किया गया है। राजनीतिक पार्टी फंडिंग सुधार को कंपनी कानून में बदलाव के

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

माध्यम से, धन विधेयक के माध्यम से, आयकर कानून के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों आदि के माध्यम से लागू किया गया है।

दल-बदल विरोधी कानून

दल-बदल विरोधी कानून 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। कानून का मुख्य उद्देश्य पद के लालच में निर्वाचित राजनेताओं द्वारा "राजनीतिक दलबदल की बुराई" का मुकाबला करना था। यह मुख्य रूप से चुनाव के लिए अपना नाम दर्ज कराने से पहले किसी भी राजनीतिक नेता की अपराध पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करता है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)

[1994] विधि आयोग द्वारा अपनी 170वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने के निर्देश के लिए एडीआर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी:

- यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ अपराधों के संबंध में अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं तो उसे चुनाव लड़ने से रोकना।
- उम्मीदवारों को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवारों को अपने स्वामित्व वाली संपत्ति का सही और सही विवरण प्रदान करना होगा।

[2015] 03/06/2013 के सीआईसी के फैसले के आधार पर राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के तहत लाने के लिए एडीआर द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी (नीचे देखें)

[2015] एडीआर द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के गठन का अनुरोध किया गया था।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)

[1969] कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293ए के तहत, कंपनियों को किसी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए योगदान देने से प्रतिबंधित किया गया था। कंपनी के दान पर प्रतिबंध के साथ विकल्प के रूप में फंडिंग का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं था, उदाहरण के लिए राज्य फंडिंग। इससे चुनावों के वित्तपोषण के लिए राजनेताओं की काले धन पर निर्भरता बहुत बढ़ गई।

[1985] कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1985 ने कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 5% तक राजनीतिक योगदान देने की अनुमति दी, बशर्ते ऐसे योगदान को अधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव निदेशक मंडल द्वारा पारित किया गया हो और कंपनी योगदान का खुलासा करती हो। इसके लाभ और हानि खाते में विवरण। कुछ पर्यवेक्षकों ने यह नोट किया है कि कंपनियां गुमनामी का रास्ता अपनाते हुए राजनीतिक दलों को काले धन के रूप में दान देना जारी रखती हैं। 2013 में सीमा को बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया।

[2008] राजनीतिक दलों की टैक्स फाइलिंग गोपनीय रही और 2008 तक जनता के सामने इसका खुलासा नहीं किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए, सीआईसी ने पार्टियों के आयकर रिटर्न के प्रकटीकरण की अनुमति दी

[2013] सीआईसी ने फैसला सुनाया कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जा सकता है और वे सूचना का अधिकार अधिनियम कंपनी अधिनियम के दायरे में आ सकते हैं।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

[2013] सीआईसी के फैसले के बाद, सभी राजनीतिक दल एक साथ आए और "सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013" का समर्थन किया, जिसे मूल अधिनियम (आरटीआई 2005) में संशोधन करते हुए 12 अगस्त 2013 को लोकसभा में पेश किया गया था। संशोधन राजनीतिक दलों को "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा के दायरे से हटा देता है। इस प्रकार भारत में राजनीतिक दल अब आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। [5] इस संशोधन का नागरिक अधिकार समाजों और आम जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। [6]

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

[1993] सीआईआई द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट योगदान को कर-कटौती योग्य बनाया जाए और राजनीतिक योगदान के बारे में बोर्ड के निर्णयों की शेयरधारक पुष्टि आवश्यक हो। इसने चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण की भी सिफारिश की है, जिसे या तो उत्पाद शुल्क पर उपकर या उद्योग द्वारा चुनाव फंड पूल में योगदान के माध्यम से जुटाया जाएगा, यानी अभियानों के वित्तपोषण के लिए उद्योग पर कर लगाया जाएगा। एक फॉर्मूले के तहत पैसा बांटा जाएगा. इसका कुछ नतीजा नहीं निकला.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)

[1998] ईसीआई प्रेस नोट, 15 जनवरी 1998: राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क पर सात राष्ट्रीय और 34 राज्य दलों के लिए दोनों मीडिया में से प्रत्येक के कुल 61 घंटे के खाली समय के रूप में आंशिक राज्य सब्सिडी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लगाई गई चुनाव खर्च की सीमा को भारत संघ द्वारा ईसीआई के माध्यम से समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

[2011] बड़े राज्य: रु. लोकसभा चुनाव के लिए 40,00,000 रु. राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 16,00,000।

[2014] बड़े राज्य: रु. लोकसभा चुनाव के लिए 70,00,000 रु. राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 28,00,000। एडीआर के एक अध्ययन के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ईसीआई को उम्मीदवारों के व्यय विवरणों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि औसत चुनाव व्यय लगाई गई सीमा का 49% था। इससे प्रतीत होता है कि इन सीमाओं का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है। किसी पार्टी द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दौरान किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा नहीं है।

आरपीए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया [16,17,18]

[1975] संसद ने 1974 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया (नीचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखें)। विशेष रूप से, संसद ने आरपीए की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 में संशोधन किया ताकि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकृत नहीं किए गए पार्टी और समर्थकों के खर्चों को उनके चुनाव खर्चों की गणना करते समय नहीं गिना जाए। इसने प्रभावी रूप से असीमित खर्च के लिए एक पिछला दरवाजा खोल दिया और यह स्व-हित के क्षेत्रों में संसदीय कानून में निहित हितों के टकराव का एक विशिष्ट उदाहरण है।

आयकर कानून

[1979] कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1978 ने किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी व्यक्ति से स्वैच्छिक योगदान द्वारा प्राप्त आय को पार्टी की कुल आय में शामिल करने से छूट दी। आयकर छूट केवल तभी दी गई थी जब (ए) ऑडिट किए गए खाते बनाए रखे गए थे और (बी) पार्टी रुपये का दान करने वाले सभी योगदानकर्ताओं के नाम और पते का रिकॉर्ड रखती थी। 20,000 या उससे अधिक. इसे आम तौर पर बड़े दान को छोटे दान में बांटकर असीमित दान की अनुमति देने का एक बचाव रास्ता माना जाता है...

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

[1974] सुप्रीम कोर्ट ने "कंवर लाला गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला और अन्य" मामले में फैसला सुनाया कि किसी उम्मीदवार की ओर से किए गए पार्टी खर्च को उस उम्मीदवार के चुनाव खर्च की गणना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चुनाव व्यय सीमा का उल्लंघन हुआ है या नहीं। 1975 में आरपीए में संशोधन करके इसे निरस्त कर दिया गया।

[1997] 18 दिसंबर 1997 को रिट याचिका संख्या 340-343/93 विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (उर्फ जैन हवाला मामला) में, सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत और अन्य व्यवस्थाएं स्थापित करने के निर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य बाहरी प्रभावों से सी.बी.आई. फैसले ने एकल निर्देश को भी अमान्य घोषित कर दिया। एकल निर्देश केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई को जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों का एक सेट था, जो सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ/जांच शुरू करने से रोकता था।

[2013] पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत में नोटा की शुरुआत की गई थी। न्यायालय ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में "इनमें से कोई नहीं [नोटा]" विकल्प पेश करने का निर्देश दिया। इससे मतदाताओं को सभी प्रतियोगियों के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त करने का विकल्प मिलता है। उदाहरण के लिए, केरल में महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह ने लोगों से आग्रह किया कि यदि कोई महिला मैदान में मौजूद नहीं है तो वे उम्मीदवार का चुनाव न करें। तमिलनाडु में, एक युवा समूह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध वोट के रूप में नोटा के लिए अभियान चलाया।

वित्त विधेयक [2017]

1 फरवरी, 2017 को वित्त विधेयक (2017) लोकसभा में पेश किया गया।

पृष्ठभूमि

विधेयक लागू होने से पहले,

(i) - किसी राजनीतिक दल को दान देने वाली कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपने शुद्ध लाभ के औसत का 7.5% तक योगदान कर सकती है।

(ii) - और किसी भी राजनीतिक दल को दिए गए योगदान की राशि का खुलासा उन राजनीतिक दलों के नाम के साथ करना आवश्यक था जिनके लिए ऐसा योगदान दिया गया था।

वित्त विधेयकों में संशोधन [2017]

वित्त विधेयक [2017] में संशोधन करता है

(i) कंपनियों पर किसी भी राजनीतिक दल को दिए जाने वाले योगदान की सीमा हटा दें।

(ii) और कंपनी द्वारा उन राजनीतिक दलों के नाम का खुलासा करने की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है, जिन्हें वह योगदान दे रही थी।

विधेयक में आगे कहा गया है कि "राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए योगदान केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य योजना के माध्यम से ही करना होगा।"

(iii) यह राजनीतिक दलों को गुमनाम योगदान देने के साधन के रूप में "चुनावी बांड" पेश करता है। ये बांड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किये जायेंगे। [7] [8]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

चुनावी बांड

वित्त विधेयक (2017) के साथ पेश किया गया, चुनावी बांड दानकर्ताओं को मध्यस्थ के रूप में बैंकों के साथ राजनीतिक दलों को भुगतान करने की अनुमति देता है। ये बांड केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

बांड की सीमा - 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक। [9]

उपलब्धता - जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक में 10 दिन, आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के साथ।

वैधता - 15 दिन (जारी होने की तारीख से)

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएँ चुनावी बांड खरीद सकता है। और फिर इसे "गुमनाम रूप से" पसंद की राजनीतिक पार्टी को दान कर दें। इन बांडों को खरीदने और हस्तांतरित करने के लिए, व्यक्ति या संस्था को बैंक को कुछ प्रमाणीकरण विवरण प्रदान करने होते हैं लेकिन दानदाताओं के नाम गोपनीय रखे जाते हैं, यहां तक कि राजनीतिक दलों से भी। गुमनामी का उद्देश्य दाता के राजनीतिक उत्पीड़न को रोकना है। [10]

किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले बांड की मात्रा की कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक दल को दान किए गए बांड को उसके सत्यापित खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा, ऐसा नहीं होने पर, इन बांडों को जारी करने वाला यानी भारतीय स्टेट बैंक इन्हें प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा कर देता है। समझाया: पारदर्शिता कार्यकर्ताओं द्वारा चुनावी बांड योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है?

चुनावी बांड की आलोचना

चुनावी बांड की जांच करने वाले लेखों की एक श्रृंखला में, हफ़पोस्ट इंडिया [11] के साथ नितिन सेठी ने 2 वर्षों की अवधि में कमोडोर लोकेश बत्रा [12] द्वारा आरटीआई प्रश्नों के माध्यम से एकत्र किए गए दस्तावेजों के संकलन का अध्ययन किया । आरटीआई दस्तावेजों में चुनावी बांड योजना और इसके कार्यान्वयन से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खुलासा हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2022 में चुनावी बांड के माध्यम से दान की राशि 10,000 करोड़ रुपये को पार कर गई। [13]

चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बांड मुद्दे पर सुनवाई के दौरान चुनावी बांड पर अपना विरोध जताया और 2017 में कानून मंत्रालय द्वारा भरे गए अपने हलफनामे का हवाला देते हुए इसे "एक प्रतिगामी कदम" बताया. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में चुनाव पैनल ने दाता की पहचान की गुमनामी और उन धाराओं पर चिंता व्यक्त की, जो शेल कंपनियों और विदेशी संस्थाओं/कंपनियों को फंडिंग (बिना किसी सीमा के) करने और भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की अनुमति दे सकती हैं। चुनाव आयोग ने अदालत में तर्क दिया कि "योजना "गुमनामता को वैध बनाती है" लेकिन वोट देने के अधिकार का मतलब एक सूचित विकल्प बनाना है - उम्मीदवार को जानना केवल "अभ्यास का आधा हिस्सा" था और नागरिकों को उन पार्टियों को जानना चाहिए जो उम्मीदवारों को धन दे रहे हैं। [14]

मई 2017 में कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा, “ऐसी स्थिति में जहां चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त योगदान की सूचना नहीं दी जाती है, राजनीतिक दलों की योगदान रिपोर्ट के अवलोकन पर, यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि राजनीतिक दल ने कोई योगदान लिया है या नहीं।” दान आरपी अधिनियम की धारा 29 (बी) के तहत प्रावधान का उल्लंघन है जो राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से दान लेने से रोकता है। [15]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

नागरिक अधिकार समितियाँ

चुनावी बांड की शुरूआत को नागरिक अधिकार समाजों और यहां तक कि आम जनता से भारी आलोचना मिली। दाता "गुमनाम" की अवधारणा लोकतंत्र की मूल भावना को खतरे में डालती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का तर्क है कि चुनावी बांड का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विभिन्न अधिनियमों में किए गए अतिरिक्त संशोधनों ने "राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट दान और भारतीयों द्वारा गुमनाम वित्तपोषण के द्वार खोल दिए हैं।" साथ ही विदेशी कंपनियाँ भी, जिनका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।" विपक्षी दलों का तर्क है कि यह कदम राजनीतिक दलों और मतदाताओं को अंधेरे में रखता है, और साथ ही केवल सत्तारूढ़ दल के पास एसबीआई और आयकर विभाग जैसे राज्य तंत्र के माध्यम से योगदान रिकॉर्ड तक पहुंच होती है। [16]

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक बयान में कहा कि "यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि इन बांडों की छपाई और बांड की बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए एसबीआई कमीशन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से किया जाता है।" एडीआर, कॉमन कॉज़ के साथ एक अन्य गैर-लाभकारी संगठन ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने सरकार और ईसी से जवाब मांगा था। हालांकि मार्च 2021 तक मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं हुई है। [15]

आरबीआई

18 नवंबर, 2019 को हफपोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित एक खोजी लेख, [17] दस्तावेजों की एक श्रृंखला की जांच करता है जो दिखाता है कि कैसे भारतीय रिजर्व बैंक कई मौकों पर चुनावी बांड योजनाओं की आलोचना कर रहा था, और कैसे भारत सरकार ने चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया आरबीआई बार-बार चुनावी बांड के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता रहा। आरबीआई ने कहा कि बांड "भारतीय बैंक नोटों में विश्वास को कमजोर करेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देंगे।"

आनुपातिक प्रणाली पर स्विच करें

फ़र्स्ट पास्ट द पोस्ट से आनुपातिक प्रणाली में बदलाव की मांग 2017 से बढ़ रही है, कई राज्यों के चुनावों के मद्देनजर, जिनके नतीजों में 50% से कम लोकप्रिय वोट प्राप्त करने वाली पार्टियों द्वारा सीटों पर बड़ी जीत देखी गई है [18]

भारत के चुनाव सुधार के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ

इन्हें नीचे दिखाई गई तालिका में संक्षेपित किया जा सकता है:

तालिका: भारत के चुनावी सुधार के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ

वर्ष	समिति का नाम/संगठन	शासनादेश	मुख्य सिफ़ारिशें	प्रासंगिक अनुभाग
1962	संथानम	भ्रष्टाचार की समस्या एवं निवारणात्मक कार्यवाही	केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की स्थापना की सिफारिश की गई। कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 311 भ्रष्ट लोक सेवकों से प्रभावी ढंग से निपटना बहुत कठिन बना देता है	2.10, 2.12, 2.14

1964	केंद्रीय सतर्कता आयोग	संथानम समिति ने सिफारिश की कि सीवीसी को उन मामलों में जांच करने की शक्ति मिलनी चाहिए जहां लोक सेवकों पर भ्रष्ट तरीके से काम करने का संदेह हो।	हालाँकि सीवीसी को कानून के माध्यम से पूछताछ करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ शक्तियां दी गईं, जो 2003 तक लागू नहीं थीं, जब सीवीसी अधिनियम 2003 का कानून बनाया गया था।	
1970	वांचू प्रत्यक्ष कर जांच समिति	काले धन को बाहर निकालने और इसके प्रसार, चोरी और कर चोरी को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी उपाय	राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण को सरकार द्वारा कुछ फॉर्मूले के अनुसार विनियमित करने की सिफारिश की गई।	2.4, 2.6, 2.20
1990	दिनेश गोस्वामी समिति	चुनाव सुधारों पर	सिफारिश की गई कि अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा केंद्र सरकार के बजाय चुनाव आयोग को तय करनी चाहिए। उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अनधिकृत व्यय को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसे चुनावी अपराध माना जाना चाहिए (कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय)। आरपीए में अनुशंसित संशोधन को इस प्रकार पढ़ा जाए: “(1) चुनाव के संचालन या प्रबंधन के संबंध में उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा किए गए या अधिकृत सभी व्यय को चुनाव के खाते में शामिल किया जाना आवश्यक होगा। उम्मीदवार का व्यय” (नीचे आरपीए 1975 देखें) कंपनियों के चंदे पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए. सुझाव है कि राज्य सहायता केवल वस्तु के रूप में हो और (1) वाहनों के लिए ईंधन की	अध्याय 7 (1.2, 1.5, 2.8, 2.9, 3.2)

			निर्धारित मात्रा (2) मतदाता सूची की अतिरिक्त प्रतियों की आपूर्ति (3) निर्धारित संख्या में माइक्रोफोन के लिए किराया शुल्क का भुगतान (4) मतदाताओं का वितरण पहचान पर्चियों का कार्य विशेष रूप से चुनावी मशीनरी द्वारा किया जाना चाहिए	
1993	वोहरा समिति	अपराध सिंडिकेट/माफिया की गतिविधियाँ और सरकारी पदाधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों के बीच संबंध	नोडल सेल के निर्माण की सिफारिश की गई जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई प्रासंगिक जानकारी के लिए एक संग्रह बिंदु के रूप में काम करेगी। सीबीईसी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)।	11.1
1997	सुप्रीम कोर्ट का फैसला	राजनीतिक कार्यकर्ता नैना साहनी की हत्या के सिलसिले में	कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद वोहरा रिपोर्ट संसद में पेश की गई और एक नोडल सेल का विधिवत गठन किया गया।	

चुनाव सुधार की चुनौतियाँ

चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने में कई चुनौतियाँ हैं:

- पारदर्शिता और ईमानदारी : राजनीतिक दलों को पर्याप्त मात्रा में धन जुटाने के कानूनी तरीके उपलब्ध कराना। मतदाताओं को अपना वोट डालने से पहले आदर्श रूप से राजनीतिक वित्त सहित राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा, पार्टियों और निर्वाचित अधिकारियों का सार्वजनिक हित की सेवा करने का कर्तव्य है; इसलिए, उनके "व्यवसाय" को गोपनीयता 13 में छिपाया नहीं जा सकता। पार्टियों को अवैध स्रोतों से धन स्वीकार करने से भी रोका जाना चाहिए।
- जवाबदेही : राजनीतिक प्रक्रिया में हितों के टकराव और भ्रष्टाचार के जोखिमों को कम करने के लिए यह आवश्यक है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

- परिवर्तन के प्रति जवाबदेही : चुनाव फंडिंग सुधार पर प्रतिकूल दुष्प्रभावों के लिए लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए और इन्हें समय पर ठीक किया जाना चाहिए। आवश्यक सुधारों को लागू करने में सक्षम होने के लिए एक विधि तैयार करने की आवश्यकता है जिसे अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा कमजोर कर दिया जाता है या अवरुद्ध भी कर दिया जाता है यदि यह उनके अनुकूल नहीं है।
- "हथियारों की दौड़" प्रभाव : सभी के लिए समान अवसर बनाए रखते हुए सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने की कुल लागत को कम करने के तरीके खोजें।
- अपराधी: चुनाव प्रक्रिया में आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकना जरूरी है। उम्मीदवारों को चुनने के लिए मुख्य मानदंड के रूप में "जीतने की क्षमता" को मतदाताओं द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार की संकल्पना : भ्रष्टाचार की संकल्पना अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है अन्यथा नुस्खे त्रुटिपूर्ण होंगे।
- कानून का कठोरता से कार्यान्वयन : अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून तोड़ने वाले राजनेताओं पर समय पर मुकदमा चलाने और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए मौजूदा कानूनों का कठोरता से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ईसीआई ने बताया कि लोकसभा 2014 के चुनावों के दौरान लगभग रु. 300 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, 17,000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स और भारी मात्रा में शराब, हथियार और अन्य सामग्री जब्त की गई। [19] किसी ने इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किए जाने की बात नहीं सुनी है।

यह उम्मीद की जाती है कि चुनावी सुधार चुनावी प्रथाओं में नागरिकों की बेहतर भागीदारी में योगदान देंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। [20] 2014 के लोकसभा चुनाव कराने में सरकार ने 3000 करोड़ से अधिक खर्च किये। [21]

लेख में राजनीतिक दलों की फंडिंग, उसके सामने आने वाली चुनौतियाँ और भारतीय लोकतंत्र पर आक्रमण करने वाले राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वर्षों से की गई सुधार पहलों पर चर्चा की गई है। एन. राम ने अपनी पुस्तक में संक्षेप में निष्कर्ष निकाला है: [22]
स्व-निहित श्रेणी के रूप में राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज़ नहीं है। यदि उद्देश्य भारत में भ्रष्टाचार को उसकी व्यापकता, उसकी सर्वव्यापकता और उसकी विविधता को समझना है, ताकि इसके बारे में कुछ सार्थक और प्रभावी किया जा सके, तो इसे केवल राजनीति, या अर्थव्यवस्था या समाज की समस्या के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। नैतिक क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि गहरे अर्थों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का भी।[19]

यदि भारत को अपनी पूरी तरह से भ्रष्ट स्थिति से बाहर निकलना है तो यह एक दीर्घकालिक उपक्रम है, हालांकि यह आवश्यक है। सभी भ्रष्टाचार एक जैसे नहीं होते. भ्रष्टाचार के कुछ रूप दूसरों से भी बदतर हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरणीय परिणामों की परवाह किए बिना खनन कंपनियों को जमीन सौंपना वोट के लिए पैसा देने से अलग है। किसी को ऐसे भ्रष्टाचार के बीच अंतर करने की जरूरत है जो अत्यधिक नुकसानदेह है और उस भ्रष्टाचार से जो कम नुकसानदेह है।

चूंकि चुनौती कई मोर्चों पर है, इसलिए इसका जवाब रणनीतिक रूप से, चरणों में और इसके लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भ्रष्टाचार के आधार को कमजोर करने पर दिया जाना चाहिए।

अल्पावधि में: (ए) भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मौजूदा कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन, न कि समस्या आने पर लगातार नए कानून बनाना, और फिर इसे जबरदस्ती लागू नहीं करना, (बी) न्यायपालिका से प्रतिगामी राजनीतिक वित्त कानून को खत्म करने की अपील करना, (ग) सरकार द्वारा लिए गए हानिकारक निर्णयों के खिलाफ लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन, उदाहरण के लिए नारियल के पेड़ों को घास के रूप में फिर से परिभाषित

करना, ताकि किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति दी जा सके, इससे मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

चुनावी सुधारों से तात्पर्य किसी देश की चुनावी प्रणाली में किये गये बदलावों या सुधारों से है। इन सुधारों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है, और वे अक्सर चुनावी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं, जिसमें मतदान प्रक्रिया, अभियान वित्तपोषण, राजनीतिक दल के नियम और चुनावी निकायों की संरचना शामिल हैं। किसी देश के विशिष्ट संदर्भ और आवश्यकताओं के आधार पर, चुनावी सुधारों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय जैसे विभिन्न स्तरों पर लागू किया जा सकता है। यहां कुछ सामान्य क्षेत्र हैं जहां चुनाव सुधारों पर अक्सर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

मतदान प्रक्रियाएँ: सुधारों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में सुधार करना हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम शुरू करना, मतदाता पंजीकरण सुधारों को लागू करना, वोट डालने और गिनती के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करना, मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करना और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

चुनावी सीमाएँ: इस क्षेत्र में सुधारों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और गैरमांडरिंग को रोकने के लिए चुनावी जिलों या निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करना शामिल हो सकता है। लक्ष्य ऐसे जिले बनाना है जो जनसंख्या का निष्पक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व करें।

अभियान वित्त: चुनावी सुधार अभियान वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं, जैसे अभियान खर्च पर सीमा निर्धारित करना, राजनीतिक दान को विनियमित करना, अभियान वित्त पोषण में पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करना।

राजनीतिक दल विनियमन: सुधारों में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ाने, पारदर्शी पार्टी फंडिंग सुनिश्चित करने, पार्टियों के भीतर हाशिए पर रहने वाले समूहों को शामिल करने को बढ़ावा देने और पार्टी प्राइमरी या उम्मीदवार चयन प्रक्रियाओं को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

चुनावी प्रबंधन निकाय: सुधार चुनाव आयोग या बोर्ड जैसे चुनावी प्रबंधन निकायों की संरचना, स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को लक्षित कर सकते हैं, जो चुनावों के आयोजन और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें उनकी स्वायत्तता को मजबूत करना, उनकी क्षमता में सुधार करना और उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है।

मतदाता शिक्षा और नागरिक सहभागिता: सुधारों में चुनावी प्रक्रिया, मतदाता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया जा सकता है। वे नागरिक सहभागिता, मतदान प्रतिशत और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता

भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता मौजूदा चुनाव प्रणाली में देखी गई विभिन्न चुनौतियों और कमियों से उत्पन्न होती है। इन सुधारों का उद्देश्य इन मुद्दों को संबोधित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है। भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालने वाले कुछ प्रमुख कारण यहां दिए गए हैं:

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक हैं, जहां प्रत्येक नागरिक को भाग लेने और अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का समान अवसर मिलता है। सुधार चुनावी कदाचार, धोखाधड़ी और हेरफेर को रोकने में मदद करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बरकरार रहती है।

भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश: चुनाव सुधार भ्रष्टाचार और चुनावों में काले धन के प्रभाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाकर, व्यय सीमा लागू करके और पार्टी के वित्त के प्रकटीकरण को बढ़ावा देकर, सुधारों का उद्देश्य चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में धन शक्ति की भूमिका को कम करना है।

राजनीति के अपराधीकरण को संबोधित करना: चुनावी सुधार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोककर राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे को संबोधित करना चाहते हैं। सुधारों में सख्त पात्रता मानदंड, आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा और राजनेताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की तेजी से निगरानी शामिल हो सकती है।

समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना: महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक हैं। सीटों का आरक्षण, विशेष प्रावधान और जागरूकता अभियान जैसे उपायों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में इन समूहों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

मतदाता जागरूकता और भागीदारी: मतदाता जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि मतदाताओं की उदासीनता एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, सरलीकृत मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाएं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई पहुंच जैसी पहल मतदाता मतदान और भागीदारी को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

तकनीकी प्रगति को अपनाना: चुनावी सुधारों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, दक्षता में सुधार करने और मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण और डिजीटल मतदाता पहचान तंत्र का परिचय प्रौद्योगिकी को अपनाने के उद्देश्य से सुधारों के उदाहरण हैं।

भारत में चुनाव सुधारों का प्रभाव

भारत में चुनाव सुधारों का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने में योगदान दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की शुरूआत ने मतदान प्रक्रिया की सटीकता और दक्षता को बढ़ाया है, जिससे त्रुटियों और हेरफेर की संभावना कम हो गई है। भारत के स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अभियान वित्त में सुधारों का उद्देश्य राजनीति में धन के प्रभाव को रोकना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अधिक समान अवसर को बढ़ावा देना है। इन सुधारों ने नागरिकों के बीच अधिक विश्वास को बढ़ावा दिया है, मतदान प्रतिशत में वृद्धि की है, और हाशिए पर रहने वाले समूहों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान किया है। कुल मिलाकर, चुनावी सुधारों का भारत में लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे समावेशी और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा मिला है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

भारत में चुनाव सुधार यूपीएससी

भारत में चुनाव सुधार एक ऐसा विषय है जिसकी यूपीएससी परीक्षा में अक्सर जांच की जाती है। यूपीएससी परीक्षा उम्मीदवार की भारतीय राजनीति और सरकार की समझ का आकलन करती है और चुनाव सुधार इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में प्रस्तावित या कार्यान्वित किए गए कुछ चुनावी सुधारों में शामिल हैं:

मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना: यह 1989 में किया गया था, और इसने लाखों युवाओं के लिए चुनाव में मतदान करना संभव बना दिया है।

चुनाव आयोग में चुनाव कर्मियों की प्रतिनियुक्ति: यह 2000 में किया गया था, और इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि चुनाव आयोग का चुनाव के संचालन पर अधिक नियंत्रण है।

चुनाव व्यय पर सीमा: इसे 2003 में लागू किया गया था, और इससे उम्मीदवारों द्वारा चुनाव पर खर्च की जाने वाली धनराशि को कम करने में मदद मिली है।

चुनावी बांड: इन्हें 2017 में पेश किया गया था, और ये कंपनियों को गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति देते हैं। कुछ लोगों ने धनी दानदाताओं द्वारा चुनावों को प्रभावित करने के एक तरीके के रूप में इसकी आलोचना की है।

जिन कुछ सुधारों पर विचार किया जा रहा है उनमें शामिल हैं:

आनुपातिक प्रतिनिधित्व: यह फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली से बदल देगा जो सभी पार्टियों को संसद या कांग्रेस में सीटों का हिस्सा देगी जो उन्हें प्राप्त वोटों के हिस्से के लगभग आनुपातिक है।

अभियान वित्त सुधार: इससे चुनावों पर खर्च की जाने वाली धनराशि पर कड़ी सीमाएं लगेंगी और अभियान खर्च में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता होगी।

चुनाव प्रशासन सुधार: इससे मतदाता पंजीकरण सूचियों, मतदान केंद्रों के संचालन और वोटों की गिनती की सटीकता में सुधार होगा।

चुनाव सुधार का लक्ष्य चुनावों को अधिक निष्पक्ष, प्रतिनिधित्वपूर्ण और पारदर्शी बनाना है। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करके और एक ऐसी प्रणाली खोजने पर काम करके जो भारत के लिए सबसे उपयुक्त हो, चुनाव आयोजित करने के तरीके में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना संभव है कि सभी आवाजें सुनी जाएं[20,21]

संदर्भ

1. "लोकसभा चुनाव पर खर्च होंगे 30,000 करोड़ रुपये: अध्ययन"। एनडीटीवी.कॉम। 30 दिसंबर 2018 को लिया गया।
2. ^ संथानम समिति रिपोर्ट 1964 - भ्रष्टाचार निवारण समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ 5, 11
3. ^ प्रत्यक्ष कर जांच समिति: अंतिम रिपोर्ट, दिसंबर 1971। प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली। 30 दिसंबर 1971 . 30 दिसंबर 2018 को लिया गया।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

4. ^ "सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013" । पीआरएस इंडिया . 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
5. ^ "एनजीओ आरटीआई संशोधन के खिलाफ विरोध जारी रखेंगे" । द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया । 13 अगस्त 2013 । 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
6. ^ "वित्त विधेयक 2017 का पीआरएस विश्लेषण" (पीडीएफ) । पीआरएस इंडिया . 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
7. ^ "वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पारित" । इकोनॉमिक टाइम्स । 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
8. ^ "लोकसभा चुनाव 2019: चुनावी बांड के बारे में आपको जो कुछ पता होना चाहिए" । हिंदुस्तान टाइम्स । 20 मार्च 2019 । 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
9. ^ "यही कारण है कि भारत के चुनावी बांड राजनीतिक फंडिंग को और भी अधिक अपारदर्शी बनाते हैं" । Qz . 15 अप्रैल 2019 । 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
10. ^ "हफपोस्ट पैसा पॉलिटिक्स" । हफपोस्ट इंडिया ।
11. ^ "कमोडोर पेपर्स" । इंटरनेट पुरालेख .
12. ^ भटनागर, गौरव विवेक। "चुनावी बांड: अपारदर्शिता पर चिंताओं के बीच, दान 10,000 करोड़ रुपये के पार" । तार । क्रमांक 2022–07–29 । 2022-08-29 को पुनःप्राप्त .
13. ^ "ईसी चुनावी बांड में शामिल गुमनामी का विरोध करता है" । लाइव मिंट . 10 अप्रैल 2019 । 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
14. ^ "चुनावी बांड योजना क्या है, और पारदर्शिता कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है"। इंडियन एक्सप्रेस. 29 मार्च 2020को पुनःप्राप्त.
15. ^ "चुनावी बांड: विवाद क्या है?" . बिजनेस टुडे । 12 अप्रैल 2019 । 16 नवंबर 2019 को लिया गया ।
16. ^ "चुनावी बांड: गुप्त निधि की तलाश, मोदी सरकार ने आरबीआई को खारिज कर दिया" । हफ़पोस्ट इंडिया । 18 नवंबर 2019 । 19 नवंबर 2019 को लिया गया ।
17. ^ "आनुपातिक प्रतिनिधित्व में बदलाव: क्या यह भारत का समय है? | ओआरएफ" । 31 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त .
18. ^ समद्दार एस, श्रीराम एलबी, एक्का एन, छोकर जेएस। अदिनांकित. चुनावों और राजनीतिक गतिविधियों में काले धन का प्रभाव। लोकतांत्रिक सुधार के लिए एसोसिएशन।
19. ^ "भारत में चुनावी सुधार" । jagranjosh.com । 17 जुलाई 2015 । 30 दिसंबर 2018 को लिया गया ।
20. ^ "भारत का चुनाव आयोग" । भारत चुनाव आयोग । 30 दिसंबर 2018 को लिया गया ।
21. ^ राम एन. 2017. घोटाले यहाँ क्यों बने रहते हैं। एलेफ़ बुक कंपनी।

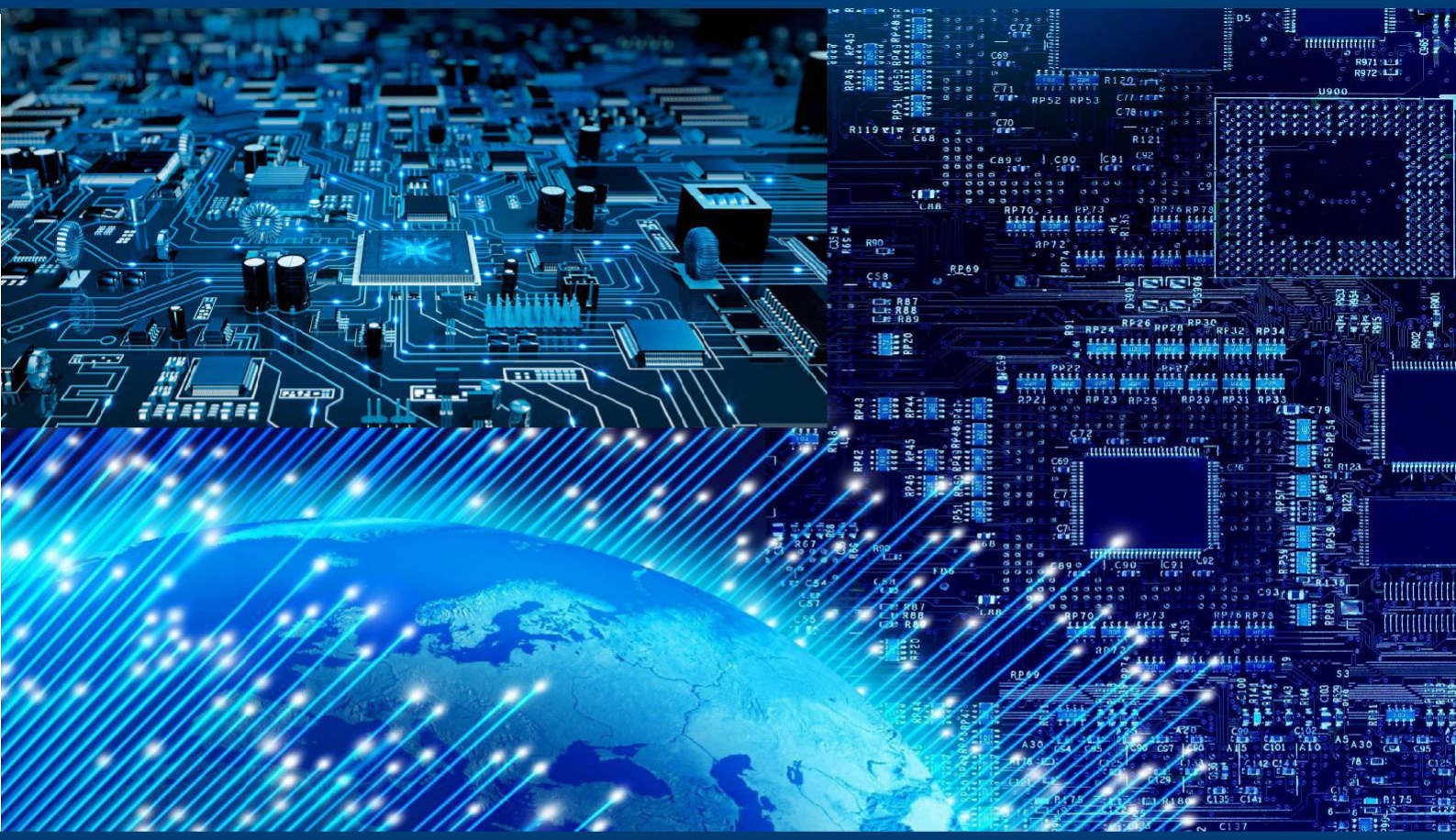

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |